Government of India Ministry of Communications Department Of Telecommunications

Telecommunication Engineering Centre

Khurshidlal Bhawan, Janpath, New Delhi-110001

No. TEC/10/2018-TC

New Delhi, the 27th September, 2018

NOTIFICATION

Subject: Mandatory Certification of Telecom Equipment

In pursuance of provisions contained in Indian Telegraph (Amendment) Rules 2017, the following is hereby notified:

1. The following Telecom equipment imported or sold in India on or after 1.1.2019 shall be subjected to testing and certification as envisaged in the said rules:

Telephone Instrument, Modem, Audio conferencing equipment, Fax machines, ISDN CPEs, Radio and Transmission products including Microwave, UHF and VHF equipment, MRTS Equipment, Satellite

equipment, WiFi Access Points and Controllers, DWDM Equipment, Digital Cross Connect, Multiplexing Equipment, SDH Equipment and Cordless Phone.

- 2. The following Telecom equipment imported or sold in India on or after 1.4.2019 shall be subjected to testing and certification as envisaged in the said rules:
 GPON equipment, DSL Equipment, IP Terminal, PABX, Media Gateway, Signalling Gateway, SBC, Soft Switch, Mobile Devices, BTS, Repeater, Compact Cellular Network, Router, LAN Switch and IoT Devices, and any other Telecom equipment not indicated in para 1.
- 3. The mandatory testing and certification, as envisaged in the said Rules, shall be carried out in accordance with 'Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipments Procedure', hereinafter called the 'MTCTE Procedure'. This procedure is being notified by Telecom Engineering Centre (TEC) vide TEC/MP/DD/TCP-702/02.Oct18 separately.
- 4. The details of procedure for testing and certification, scope, list of equipments exempted, applicable certification scheme, labelling guidelines, certification fees and other details are provided in the MTCTE Procedure.
- 5. This issues with the approval of competent authority.

Deputy Director General (TC)

Copy to:

- 1. PPS to Secretary (T)
- 2. PPS to Member(S)/ Member(T)/ Member(F), DGT
- 3. PPS to Adviser(O)/ Adviser(T)/ Adviser(F)
- 4. SrDDG(TEC)/ All DDGs (TEC)
- 5. JS(Customs) CBIC
- 6. Commissioner(Single Window)
- 7. DDG(IC)/ DDG(Security)/ DDG(NT) DoT
- 8. DDG(IT) DoT for uploading on DoT website.

भारत सरकार संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग

दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र

ख्शींदलाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

सं: TEC/10/2018-TC

नर्ड दिल्ली, 27 सितम्बर, 2018

अधिस्चना

विषय: दूरसंचार उपकरणों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित अधिसूचना जारी की जाती है:

- निम्नलिखित दूरसंचार उपकरणों का, जो 01/01/2019 या उसके बाद भारत में आयातित होते या बेचे जाते हैं, उक्त नियमों के अधीन परीक्षण और प्रमाणन किया जाएगा: टेलीफोन उपकरण, मोडेम, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण, फैक्स मशीन, आइएसडीएन सीपीई, रेडियो और ट्रांसिमशन उपकरण जिसमें माइक्रोवेव, यूएचएफ और वीएचएफ उपकरण, एमआरटीएस उपकरण, सैटेलाइट उपकरण, वाईफाई प्रसार बिंदु और नियंत्रक,
- निम्नलिखित दूरसंचार उपकरणों का, जो 01/04/2019 या उसके बाद भारत में आयातित होते या बेचे जाते हैं, उक्त नियमों के अधीन परीक्षण और प्रमाणन किया जाएगा:

डीडब्लूडीएम् उपकरण, डिजिटल क्रॉस कनेक्ट, मल्टीप्लेक्स उपकरण एवं एसडीएच उपकरण शामिल हैं, और ताररहित फोन।

जीपीओएन उपकरण, डीएसएल उपकरण, आईपी टर्मिनल, पीएबीएक्स, मीडिया गेटवे, सिग्नलिंग गेटवे, एसबीसी, सॉफ्ट स्विच, मोबाइल उपकरण, बीटीएस, रिपीटर, कॉम्पैक्ट सेलुलर नेटवर्क, राउटर, लैन स्विच और आईओटी उपकरण तथा वह सभी दूरसंचार उपकरण जो पैरा 1 में अंकित नहीं हैं।

- उक्त नियमों में परिकल्पित अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन, 'दूरसंचार उपकरणों का अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया' जिसे भविष्य में 'MTCTE प्रक्रिया' कहा जायगा, के अनुसार किया जायगा। यह प्रक्रिया दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (TEC) द्वारा दस्तावेज़ संख्या TEC/MP/DD/TCP-711/02.Oct18 के रूप में अलग से जारी की जा रही है ।
- परीक्षण और प्रमाणन का विवरण, कार्यछेत्र, छूट दिए गए उपकरणों की सूची, लागू प्रमाणन योजना, लेबल के दिशा-निर्देश, प्रमाणन शुल्क और अन्य जानकारी MTCTE प्रक्रिया के अनुसार होगी।
- 5. यह अधिसूचना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी की जा रही है।

उप महा निदेशक

प्रतिलिपि:

- 1. प्र॰ निजी सचिव, सचिव (दूरसंचार)
- 2. प्र॰ निजी सचिव, सदस्य (से॰)/ सदस्य (त॰)/ सदस्य (वि॰)/ महा निदेशक (दूरसंचार)
- 3. प्र॰ निजी सचिव सलाहकार (सं॰)/ सलाहकार (त॰)/ सलाहकार (वि॰)
- 4. व॰उ॰म॰ निदेशक/ सभी उ॰म॰निदेशक (TEC)
- 5. संयुक्त सचिव (कस्टम), के॰अ॰कर एवं सी॰श्॰बो॰
- 6. आयुक्त (SW)
- 7. उ॰म॰नि॰(IC)/ उ॰म॰नि॰(स्॰)/ उ॰म॰नि॰(NT) DoT
- 8. उ॰म॰नि॰(IT) DoT, DoT की वेबसाइट पर अपलोड करें